

Form-I

(for Linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, Chamoli

Dated :- 08-02-2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.275 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development, Uttarakhand for Construction of Dhurma-Kundi Km 2 to Mokhmalla Motor Road Under PMGSY in Chamoli district falls within jurisdiction of village Mokhmalla in Ghat Tehsil.

It is further certified that:-

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.275 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed.
- The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
चमोली

प्रभागीय वन अधिकारी
हनुमान नगर प्रभाग, सेवेखरा

जिला अधिकारी
चमोली
Name:
(IAS)

पारूप-23.1

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से मोख मल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मोख मल्ला

तहसील घाट, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

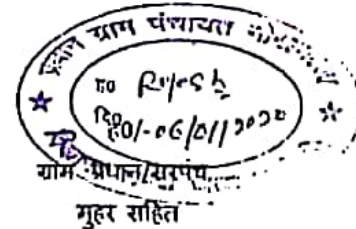
उत्तराखंड में जनपद चमोली के अन्तर्गत धुर्मा-कुण्डी मोटर मार्ग के कि०मी० 02 से मोखमल्ला तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.000 हे० आरक्षित वन भूमि 3.275 हे० सिविल रोयम भूमि 0.00 हे०, वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 3.275 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मोख मल्ला द्वारा दिनांक 03/06/17 की संपन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कच्चा/कृषि कार्य है अथवा नहीं * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कच्चा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मोख मल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...
विकास अण्ड... 05/01/2020



नोट:-यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उचित विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा।

शोचन सिंह बेगी
पी.डी.सी.
अध्यक्ष तहसील क्षेत्र पंचायत संमेलन
विकासखण्ड घाट (चमोली)

मोख मल्ला

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में धुम्री - बुढी मोल मार्ग डे विमी० ०२ से
मोल्त- भवला तह मोल भाग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड छाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत धुम्री-बुढी मोल मार्ग डे विमी० २ से मोल भवला मोल मार्ग डे विमी० ०२ से आरक्षित वन भूमि, ३.२७५ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि २.२५ हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ३.२७५ हे० वन भूमि) का लो० प्रि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील छाट) की दिनांक 17/07/2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रमानन्द राम उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री प्रमानन्द राम उपजिलाधिकारी अध्यक्ष

2- श्री एन.एन. पाखरेय उपप्रमाणिक वनाधिकारी सदस्य

3- श्री सूरत सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव

4- श्री गे. विन्दु सिंह वन अधिकार समिति सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि धुम्री-बुढी मोल मार्ग डे विमी० ०२ से मोल भवला तह मोल भाग डे विमी० ०२ से आरक्षित वन भूमि, ३.२७५ हे० वन भूमि, लो० प्रि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई सामग्री लम्बित नहीं है।

उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुरोध की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड दाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत धुली - कुली भाट मांगी डे डिनी से भोतर भवला परियोजना के निर्माण हेतु 3.75 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष-अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
चमोली
तहसील- दाट
जनपद- चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष-अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- दाट
जनपद- चमोली

**Office of the District Collector,
District-Chamoli(Uttarakhand)**

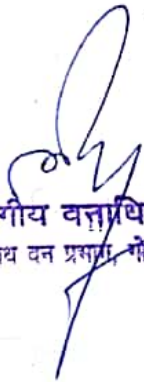
Proceeding to the meeting of the District Level Committee constituted under
Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act
(FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of District Chamoli (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 has held under the chairmanship Mrs. Swati S. Bhadoriya (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 08.02.2019 at 3:00 PM at Chamoli in which the application claiming rights in Mokhmalla Tehsil Ghat, area measuring 3.275 Hectares for the Dhurma-Kundi Km2 to Mokhmalla Motor Road Under PMGSY in Chamoli of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Ghat Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली


जिला अधिकारी
District Magistrate cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli


प्रभागीय वन अधिकारी
खडीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वरा

प्रपत्र-23.1

03/06/17

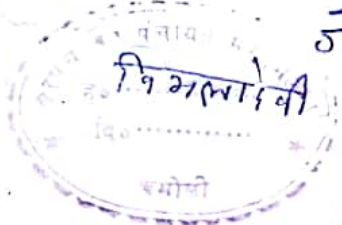
दिनांक को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मल्ला मोल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01 -	राम प्रसाद तिवारी	
02 -	रामलाल, 510 वंशोत्तल	
03 -	अपतार सिंह (वाड सदस्य)	अनवर सिंह
04 -	जमना सिंह (वाड सदस्य)	जयवीर सिंह
5 -	चौधरी दीपा देवी (वाड सदस्य)	दीपा देवी
06 -	अरतार सिंह	शिवजी सिंह
07 -	मोहन सिंह	
08 -	राजेश कुमार (वाड सदस्य)	मोहन
09 -	मनमोहन सिंह	मनमोहन
10 -	दरभ सिंह	
11 -	विमल सिंह	
12 -	रजनीत लाल	रजनीत लाल
13 -	रजनीत लाल	रजनीत लाल
14 -	शिव प्रसाद	शिव प्रसाद
15 -	शक्ति देवी देवी (वाड सदस्य)	देवी देवी
16 -	अनिल सावली देवी (वाड सदस्य)	सावली देवी
17 -	मोहन प्रसाद तिवारी	मोहन प्रसाद
18 -	शक्ति देवी देवी (वाड सदस्य)	मांडवी देवी
19 -	शक्ति देवी देवी (वाड सदस्य)	मांडवी देवी
20 -	मंजू देवी	मंजू देवी

मोहन सिंह 20 रजनीत लाल 26 मोहन सिंह 25 शक्ति देवी देवी 28 माधुरी देवी 23 राजेश कुमार 27 मंजू देवी 24

ग्राम प्रधान



मंजू देवी
विमल देवी
मोहन सिंह

